संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

क्रमांक–3/प.क. /2014/357 भोपाल, दिनांक : 26.04.14

प्रति,

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें
   मध्यप्रदेश
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
   मध्य प्रदेश ।
3. समस्त जिला परिवार कल्याण अधिकारी–2
   मध्यप्रदेश
4. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक एनआरएचएम
   मध्यप्रदेश

विषयः– प्रेरणा कार्यक्रम की मॉनिटरिंग के संबंध में दिशा–निर्देश ।

विषयान्तर्गत लेख है कि वर्ष 2014–15 को प्रेरणा अभियान वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है । कार्यक्रम के सफल कियान्वयन के लिये यह आवश्यक है कि वर्ष के प्रारंभ से ही कार्यक्रम की मॉनिटरिंग का कार्य किया जाये । इस हेतु प्रत्येक स्तर पर मॉनिटरिंग की जायेगी।

1. ग्राम आरोग्य केन्द्र स्तर पर –
   - आशा द्वारा प्रत्येक ग्राम आरोग्य केन्द्र पर 40 लक्ष्य दम्पत्ति की सूची बनाई जावे । लक्ष्य दम्पत्तियों में से 10 महिला या पुरूष को स्थाई साधन एवं 30 महिला या पुरूष को अस्थायी साधनों (आई.यू.डी., ओरल पिल्स,निरोध)हेतु प्रेरित किया जायेगा।
   - आशा यह सुनिश्चित करेगी कि आगामी 10 माह में उक्त लक्ष्य दम्पत्तियों को प्रेरित कर स्थाई व अस्थाई साधनों को उपयोगकर्ता बनाया जाये ।
   - स्वःस्थ्य ग्राम प्रहरी दल अस्थाई साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे ।

2. उप स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर–
   - एम.पी.डब्लू.पुरूष/महिला कार्यकर्ता आगामी 10 दिवस में अपने उप स्वास्थ्य केन्द्र के अधीन आने वाले समस्त ग्रामों के लक्ष्य दम्पत्तियों के पंजीयन की जानकारी अद्यतन करेगे।
   - इस कार्य की निगरानी एवं मार्ग दर्शन स्वस्थ ग्राम प्रहरी दल द्वारा की जायेगी ।

3 सेक्टर स्तर पर–
   - इस बात की जानकारी संकलित की जावे कि उनके सेक्टर के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम आरोग्य केन्द पर 40 लक्ष्य दम्पत्तियों के मान से सूची बनाई गई है अथवा नहीं। प्रत्येक ग्राम आरोग्य केन्द्र पर 40 लक्ष्य दम्पत्तियों को परिवार कल्याण के स्थाई, अस्थाई साधनों को अपनाने के लिये प्रेरित किया जावे । स्वस्थ ग्राम प्रहरी दल यह सुनिश्चित करेगा कि आगामी 10 माह में प्रत्येक ग्राम के 40 इच्छुक लक्ष्य दम्पति परिवार कल्याण के स्थाई एवं अस्थाई साधनों को स्वेच्छापूर्वक अपनावे।
   - स्वस्थ ग्राम प्रहरी दल के सदस्यों द्वारा गत वर्ष के लक्ष्य दम्पतियों द्वारा अपनाये गये स्थाई एवं अस्थाई साधनों में से 20 प्रतिशत हितग्राहियों का सत्यापन करेंगे।
   - स्थाई एवं अस्थाई साधनों के सत्यापन हेतु हितग्राहियों के नामों की सूची स्वास्थ्य कार्यकर्ता से प्राप्त करेंगें।

- सत्यापन हेतु स्वस्थ ग्राम प्रहरी दल के सदस्य (पुरूष/महिला) इस बात को सुनिश्चित करेंगें कि गत् वर्ष के हितग्राहियों की सूची जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरूष/महिला)/आशा द्वारा उपलब्ध कराई गई है उनमें से अस्थाई साधन अपनाने वाले दंपत्ति के यहॉ अस्थाई साधन अपनाने के उपरांत प्रेगनेंसी तो नहीं हुई है।

4. विकासखण्ड स्तर पर–

- विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी स्वस्थ ग्राम प्रहरी दल को मार्गदर्शन देंगे एवं यह सुनिश्चित करेगे कि उनके विकासखण्ड मे पदस्थ कार्यकर्ताओ द्वारा लक्ष्य दम्पति की सूची अघतन कर ली गई है या नहीं ।
- खण्ड चिकित्सा अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगें कि उनके विकास खण्ड के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम आरोग्य केन्द्र पर 40 लक्ष्य दम्पत्तियों की सूची तैयार की गई है ।
- खण्ड चिकित्सा अधिकारी जानकारी प्राप्त कर अपने विकास खण्ड के अंतर्गत आने वाले ग्रामों में परिवार कल्याण के अस्थाई साधन अपनाने वाले 10 प्रतिशत दम्पत्तियों का सत्यापन करेगें ।
- सेक्टर अधिकारी द्वारा किये सत्यापन की जानकारी प्राप्त करेगे ।
- अस्थाई साधनों एव प्रेग्नेंसी टेस्ट किट की निरन्तर आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगे।
- स्थाई साधन अपनाने वाले दम्पत्तियों की सेवा आवश्यकता "फिक्सडे केम्प" पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगे ।
- प्रसव केन्द्रो पर आने वाली प्रसूता महिलाओं को पी.पी.आई यू.सी.डी/पोस्टपार्टम स्टरलाईजेशन आपरेशन एवं नवजात शिशु चिकित्सा ईकाई(एन.बी.एस.यू.),पोषण पुनर्वास केन्द्रों में आने वाले महिलाओं को परिवार कल्याण साधनों के उपयोग हेतु काउंसिलिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करेगें ।

5 जिला स्तर पर

- डी.एच.ओ.–2 यह सुनिश्चित करेगे कि उनके सभी विकास खण्डों में लक्ष्य दम्पत्ति पंजीयन अघतन कर लिया गया है ।
- प्रत्येक विकास खण्ड के प्रत्येक आरोग्य केन्द्र में 40 लक्ष्य दम्पत्तियों की सूची उपलब्ध है ।
- डी.एच.ओ–2 सुनिश्चित करेगे कि खण्ड चिकित्सा अधिकारी माह में दो बार, स्वस्थ ग्राम प्रहरी दल के सदस्य सप्ताह में एक बार अपने अधीन ग्रामों में परिवार कल्याण के अस्थाइ साधन अपनाने वाले हितग्राहियों का कमशः 10 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत सत्यापन सुनिश्चित करेंगें।
- सुनिश्चित करेगें कि अस्थाई साधनों की उपलब्धता सभी विकास खण्डों में निरन्तर बनी रहे ।
- ब्लाक में आयोजित फिक्सडे केम्प मे सर्जन की उपलब्धता एवं सर्जन के लिये वाहन की उपलब्धता सुनिश्चित करेगें ।
- उनके जिले में प्रशिक्षित एल.टी.टी.सर्जन नसबंदी का कार्य कर रहे है, सुनिश्चित करेंगें ।
- डी.एच.ओ.–2 माह के प्रत्येक सप्ताह में कम–से–कम एक विकास खण्ड का भ्रमण कर ग्राम आरोग्य केन्द्रों का निरीक्षण एवं 05 प्रतिशत हितग्राहियों का सत्यापन सुनिश्चित करेगे ।

6 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी –

- उपरोक्त सभी गतिविधियो के लिये पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगे । एवं अपने मार्गदर्शन जिले में कार्य सम्पादित करायेगे ।
- प्रत्येक माह मे कम से कम दो ब्लाक का भ्रमण कर, गत वर्ष के दो प्रतिशत हितग्राहियों का सत्यापन करेगे ।

नोट– सभी डीएचओ–2 यह सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त मॉनीटरिंग व्यवस्था के संबंध में सभी विकास खण्ड चिकित्सा अधिकारियों/विकास कार्यक्रम प्रबंधकों/स्वस्थ ग्राम प्रहरी दल के सदस्यों को परिपत्र उपलब्ध करा दिया गया है।

(डॉ. के.एल.साहू)
28/4/14
संचालक परिवार कल्याण
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक :

क्रमांक–3/प.क. /2014/
प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ।
2. आयुक्त स्वास्थ्य मध्यप्रदेश।
3. मिशन संचालक एनआरएचएम।
4. समस्त संचालक संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.।
5. समस्त ओ.आई.सी. (भ्रमण हेतु जिला प्रभारी)।

पत्र को विभाग के वेबसाइट पर डालें।
SK Dhuwo
28/04/2014

संचालक परिवार कल्याण
मध्यप्रदेश